प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आनलाइन काउंसलिंग के पश्चात् रिक्त सीटों पर विशेष आफलाइन काउंसलिंग हेतु पंजीकरण करने की अन्तिम तिथि 23 जुलाई 2022 से बढ़ाकर

25 जुलाई 2022 10:00 AM तक कर दिया गया है ।

- सर्वप्रथम अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध सीटों की संख्या का आकलन स्वयं कर लें।
- अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ की अधिकारिक वेबसाइट https://upsmfac.org/ अथवा https://upsmfaccpsp.org/ पर जाकर काउंसलिंग हेतु पंजीकरण करना होगा।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
फोनः 0522–2238846, +91–9151024463
Website: www.upsmfac.org Email: upmedicalfaculty@upsmfac.org

Date:- 20.07.2022

Combined Paramedical Selection Process-2021
Special Counselling (offline)
विशेष आफलाइन काउंसलिंग
आनलाइन पंजीकरण तिथिः 20 जलाई 2022 से 23 जलाई 2022 शाम 05:00 बजे तक

विशेष काउंसलिंग (आफलाइन) हेतु दिशा निर्देशः –

- सर्वप्रथम अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध सीटों की संख्या का आकलन स्वंय कर लें।
- अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ की अधिकारिक वेबसाइट https://upsmfac.org अथवा https://upsmfaccpsp.org पर जाकर विशेष काउंसलिंग हेतु पंजीकरण करना होगा ।
- सर्वप्रथम यूजर आई0डी0 एवं जन्मतिथि से लॉगिन करना होगा । अभ्यर्थी का विवरण खुलने के बाद अभ्यर्थी को स्वंय का मोबाइल नम्बर देना होगा । तत्पश्चात् विशेष आफलाइन काउंसलिंग का पंजीकरण शुल्क रूपये 700/- आनलाइन माध्यम द्वारा जमा करना होगा ।
- अभ्यर्थी को रूपये 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी हेतु जो कि **"SECRETARY, U. P. STATE MEDICAL FACULTY, LUCKNOW"** के पक्ष में देय हो बनवाना होगा।
- **निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर काउंसलिंग में प्रतिभाग करना होगा**
  - ✓ **अभ्यर्थी मूल आईडी कार्ड एवं काउंसलिंग पंजीकरण 2 प्रति का प्रिंटआउट।**
  - ✓ **रूपये 5000 का डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी हेतु जो कि "SECRETARY, U.P. STATE MEDICAL FACULTY, LUCKNOW" के पक्ष में देय हो ।**
- जिन अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र जारी किया जायेगा उन्हें डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी के रूप में काउंसलिंग स्थल पर जमा करना होगा ।
  (डिमांड ड्राफ्ट के अभाव में अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग नही कर सकता है एवं उसका किसी भी सीट पर कोई भी दावा मान्य नही होगा।)
- काउंसलिंग मे आने का तात्पर्य यह नही है कि अभ्यर्थी को सीट आवंटन प्राप्त हो जायेगा । सीटों का आवंटन अभ्यर्थी की उपस्थिति, मेरिट (Sr. No.) एवं उसके च्वाइस के अनुसार सीट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा ।
- काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा अथवा अन्य कोई भत्ता देय नही होगा ।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों में किसी भी स्तर से अनियमितता पायी जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- **काउंसलिंग पंजीकरण की अन्तिम तिथि के पश्चात् आफलाइन काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जायेगी । काउंसलिंग का आयोजन लखनऊ में किया जायेगा । काउंसलिंग तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी । इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना डाक अथवा एसएमएस के माध्यम से प्रेषित नही की जायेगी ।**

काउंसलिंग प्रक्रिया

- मेरिट सूची जारी किये जाने के पश्चात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग में सभी श्रेणी (UR, OBC, SC, ST, EWS) एवं उपश्रेणी (PH, FF, Ex- Army) के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया था। कांउसलिंग के पश्चात् रिक्त सीटों पर विशेष आफलाइन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है।
- **विशेष आफलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी:** विशेष आफलाइन काउंसलिंग में सभी श्रेणी (UR, OBC, SC, ST, EWS) एवं उपश्रेणी (PH, FF, Ex- Army) के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते है।
- सर्वप्रथम उपश्रेणी की सीटें (ALL PH, ALL FF, ALL Ex-Army) आवंटित की जायेगी । तत्पश्चात् आरक्षण श्रेणी (ALL OBC, ALL SC, ALL ST, ALL EWS) की सीटों का आवंटन किया जायेगा ।
- यदि श्रेणी एवं उपश्रेणी की सीटें रिक्त रह जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे अनारक्षित (GEN/UR) श्रेणी में परिवर्तित कर आवंटन किया जायेगा ।
- आवंटन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी । यदि अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नही करता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी ।
- विशेष आफलाइन काउंसलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होता है तो ऐसी स्थिति में उसका पूर्व में आवंटित सीट रिक्त हो जायेगी । पूर्व में आवंटित सीट पर उस अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नही होगा एवं इस रिक्त हुयी सीट पर उसके आगे वाले अभ्यर्थी को आवंटन हेतु मौका दिया जायेगा ।

प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने सम्बन्धी निर्देश

- काउंसलिंग में किया गया आवंटन अस्थायी होगा ।
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा ।

  प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य ले जायें–
  - ✓ **हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र ।**
  - ✓ **(इण्टरमीडिएट साइंस) रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित से उत्तीर्ण इण्टरमीडिएट परीक्षा का अंक–पत्र एवं प्रमाण पत्र ।**
  - ✓ **सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आरक्षण संबंधी प्रमाण – पत्र एवं आवंटन पत्र ।**
  - ✓ **प्रशिक्षण शुल्क**
- यदि अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लेता है तो सिक्योरिटी मनी का ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा, इसकी धनराशि प्रवेश शुल्क/प्रशिक्षण शुल्क में समाहित नही किया जायेगा ।
- सिक्योरिटी मनी प्राप्त करने हेतु प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के 1 माह पश्चात् अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र से अपना डिमांड ड्राफ्ट वापस ले सकता है।
- आप द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण केंद्र एवं कोर्स के आधार पर आपका स्थानांतरण किया जाता है। आपकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः ही निरस्त हो गयी है । आपको नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है । यह प्रवेश पूर्णतः अस्थायी है ।
- आप प्रवेश पत्र (आवंटन पत्र) के साथ निर्धारित तिथि तक सम्बंधित आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में तत्काल प्रवेश प्राप्त कर लें। किसी भी दशा में यह तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी एवं नवीन आवंटित सीट पर प्रवेश न लेने की दशा में आपकी स्थानांतरित सीट भी रिक्त मानी जाएगी एवं शुल्क वापसी हेतु अभ्यर्थी को स्वयं पूर्व प्रवेशित प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क करना होगा।

सचिव